

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी  
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



प्रशासन अनुभाग

सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/2021-22/06

दिनांक.11 अगस्त,2021

कार्यालय आदेश

विषय: कोविड-19 – शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में।


संदर्भ: 1.सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/2021-22/04 दिनांक.09.08.2021

2.दिनांक.11.08.2021 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

\*\*\*

उपरोक्त कार्यालय आदेश के पैरा -8 (क) में आंशिक संशोधन करते हुए तथा भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के क्रम में, विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

- (क) संकायों के संकायाध्यक्ष, निदेशालयों एवं केन्द्रों के निदेशक/प्रभारी, विभागों के विभागाध्यक्ष, मॉडल स्कूल/पोलिटिकनीक/सीटीई/ ऑफ-कैम्पस के प्रधानाचार्य/प्रभारी तथा क्षेत्रीय केन्द्रों के क्षेत्रीय निदेशक/ सहायक क्षेत्रीय निदेशकों को कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना है।
  - (ख) इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय में ऑनलाइन अध्यापन अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालांकि, अध्यापन स्टाफ को कार्यालय समय के दौरान अपने संबंधित विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों/निदेशकों को उपलब्ध होना होगा।
  - (ग) विश्वविद्यालय गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ कार्य करेगा। अतः विश्वविद्यालय के सभी गैर-शैक्षिक कर्मचारी शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. कार्यालय आदेश में उद्धृत अन्य मदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

  
प्रभारी कुलसचिव

प्रति:

1. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, निदेशालयों एवं केन्द्रों के निदेशक/प्रभारी, विभागों के विभागाध्यक्ष, मॉडल स्कूल/पोलिटिकनीक/सीटीई/ ऑफ-कैम्पस के प्रधानाचार्य/प्रभारी तथा क्षेत्रीय केन्द्रों के क्षेत्रीय निदेशक/ सहायक क्षेत्रीय निदेशक।
2. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी कार्यालय
3. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित फाइल